[2021] 3 उम. नि. प. 61

गुरमीत सिंह

बनाम

पंजाब राज्य

[2010 की दांडिक अपील सं. 1731]

28 मई, 2021

मुख्य न्यायमूर्ति एन. वी. रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 304ख [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113ख] – दहेज मृत्यु – मृतका द्वारा विवाह के सात वर्ष के भीतर ससुराल में विष खाकर आत्महत्या किया जाना – उपधारणा – दोषसिद्धि – जहां साक्षियों के साक्ष्य से यह सिद्ध होता हो कि अभियुक्त-पति द्वारा दहेज की मांग करके मृतका को सतत रूप से तंग किया गया और मृतका ने अपने विवाह के सात वर्ष के भीतर विष खाकर आत्महत्या कारित कर ली, वहां दहेज मृत्यु की उपधारणा पूरी तरह से लागू होने और अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त धारा के सभी आवश्यक संघटकों का समाधान कर देने पर अभियुक्त की दोषसिद्धि उचित है और इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है ।

इस मामले के तथ्यों के अनुसार, शिकायतकर्ता की पुत्री, मृतका की वर्ष 2004 में अपीलार्थी के साथ सगाई हुई थी । शिकायतकर्ता सगाई के पश्चात् अप्रैल, 2004 में आबू धाबी चला गया था और अपीलार्थी और मृतका का विवाह तारीख 23 नवंबर, 2004 को उसकी गैर-मौजूदगी में अनुष्ठापित हुआ था । वर्ष 2006 में इस विवाह बंधन से एक बालक का जन्म हुआ । जब शिकायतकर्ता वर्ष 2007 में विदेश से वापस आया तो मृतका ने उसे सूचित किया कि उसके सास, ससुर और अपीलार्थी-पति दहेज की मांग को लेकर उस पर शारीरिक हमला करते रहते हैं । अभिकथित रूप से, शिकायतकर्ता ने अभियुक्त व्यक्तियों को एक सोने की जंजीर दी थी । शिकायतकर्ता उसके पश्चात् विदेश चला गया और

तारीख 21 जुलाई, 2008 को भारत वापस आया । मृतका ने यह भी खुलासा किया कि उसके ससुराल वाले एक कार खरीदने के लिए धन की मांग कर रहे हैं । तथापि, इस बार शिकायतकर्ता इस मांग को पूरा करने में असफल रहा । तारीख 8 अगस्त, 2008 को मृतका के ससुर ने शिकायतकर्ता को सूचित किया कि मृतका ने विष खा लिया है और वह बेहोश हो गई है तथा उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है । अस्पताल पहुंचने के उपरांत शिकायतकर्ता ने अपनी पुत्री को बेहोश पाया । बाद में उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई । विचारण न्यायालय ने तारीख 3 सितंबर, 2009 के आदेश द्वारा अपीलार्थी-पति, ससुर और सास को धारा 304ख के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया और उनमें से प्रत्येक को सात वर्ष का कठोर कारावास भुगतने और प्रत्येक पर 5,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश दिया । जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर अभियुक्त व्यक्तियों को एक वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का निदेश दिया गया था । अभियुक्त व्यक्तियों ने व्यथित होकर अपील में उच्च न्यायालय में समावेदन किया । उच्च न्यायालय ने ससुर और सास को दोषमुक्त कर दिया किंतु अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के आदेश को कायम रखा । उच्च न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय को चुनौती देते हुए अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 304ख(1) में किसी स्त्री की "दहेज मृत्यु" को परिभाषित किया गया है । इस धारा में यह उपबंधित है कि "दहेज मृत्यु" वह है जहां किसी स्त्री की मृत्यु दाह या शारीरिक क्षतियों के कारण कारित की जाती है या विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु से कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने दहेज की किसी मांग के संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था । इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख(2) में पूर्वोक्त अपराध के लिए दंड का उपबंध किया गया है । प्रस्तुत मामले में, स्वीकृत रूप से, मृतका और

अभियुक्त-अपीलार्थी के बीच विवाह तारीख 13 नवंबर, 2004 को हुआ था और मृतका की मृत्यु वर्ष 2008 में उसके द्वारा अपने दांपत्य गृह में विष खा लेने के कारण हुई थी । अत: विवाह के सात वर्ष के भीतर "सामान्य परिस्थितियों" से अन्यथा मृत्यु होने के बारे में प्रथम दो संघटकों का समाधान हो जाता है । अगला महत्वपूर्ण संघटक जिसे सिद्ध करने की आवश्यकता होती है, वह "स्त्री की मृत्यु से कुछ पूर्व" दहेज की मांग की विद्यमानता है । इस न्यायालय ने अनेक निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया है कि "कुछ पूर्व" का निर्वचन "ठीक पूर्व" के अर्थ में नहीं किया जा सकता है, बल्कि अभियोजन पक्ष को यह दर्शित करना चाहिए कि विपदग्रस्त के साथ की गई क्रूरता और पारिणामिक मृत्यु के बीच एक "सन्निकट और सीधा संबध" विद्यमान था । यहां मृतका के पिता श्रवण सिंह (अभि. सा. 4) का साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है । उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया था कि मृतका ने विवाह के पश्चात् उसे दूरभाष पर अभियुक्त द्वारा लगातार कार या उसके समतुल्य नकदी की मांग करने के बारे में सूचित किया था । वर्ष 2007 में, जब यह साक्षी भारत आया था तो मृतका ने लगातार उसे तंग किए जाने के कारण अपनी अप्रसन्नता भी जाहिर की थी । इसके अतिरिक्त, जब यह साक्षी जुलाई, 2008 में देश वापस आया था तो मृतका ने उसके समक्ष इन मांगों की बात को दोहराया था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि कैसे बीच-बचाव करके स्वयं विवाद का हल निकालने के लिए परिवारों ने प्रयत्न किया था और कई अवसरों पर मृतका के पिता ने स्थिति को सुधारने के लिए अभियुक्त और उसके परिवार को कई सारे उपहार दिए थे । एक अन्य महत्वपूर्ण परिस्थिति जो हमारे ध्यान में आती है वह यह है कि मृतका की माता ने घटना से 15-20 दिन पूर्व पिता को दहेज की मांग को लेकर लगातार मृतका को तंग करने के बारे में सूचित किया था । अंतत: तारीख 8 अगस्त, 2008 को मृतका के ससुर ने इस साक्षी को मृतका द्वारा विष खा लेने के बारे में सूचित किया था । यह रेखांकित करना आवश्यक है कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने अभि. सा. 4 मृतका के पिता के उपरोक्त साक्ष्य को उसकी पूरी तरह से प्रतिपरीक्षा करने के बावजूद विश्वसनीय और संगत पाया था । अपीलार्थी द्वारा पूर्वोक्त परिसाक्ष्य की उपेक्षा करने के लिए कोई साक्ष्य

प्रस्तुत नहीं किया था । अभि. सा. 4 के परिसाक्ष्य का परिशीलन करने पर इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि यह साक्ष्य संगत और विश्वासोत्पादक है । अभिलेख पर के साक्ष्य, विशिष्ट रूप से मृतका के पिता के परिसाक्ष्य पर विचार करते हुए इस न्यायालय की यह राय है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन आवश्यक संघटकों को साबित किया था । विचारण न्यायालय द्वारा निकाला गया पूर्वोक्त निष्कर्ष अभिलेख पर के साक्ष्य के विस्तृत विश्लेषण पर आधारित है और इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं है । अपीलार्थी ने इस न्यायालय के ध्यान में यह सुझाव देने के लिए कोई सामग्री नहीं लाई है कि विचारण न्यायालय का निष्कर्ष अनुचित या किसी आधार के बिना था । अत: अपीलार्थी की यह प्रतिरक्षा मान्य न होने के कारण नामंजूर किए जाने योग्य है । अपीलार्थी की अगली दलील यह है कि मृतका अपनी माता के स्वास्थ्य को लेकर तनावग्रस्त रहती थी । तथापि, अपीलार्थी द्वारा अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि मृतका अपनी माता के अभिकथित खराब स्वास्थ्य के कारण तनाव में थी । वास्तव में, यह दर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था कि उसकी माता का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था । अत: अभियोजन पक्ष ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन आवश्यक संघटकों का समाधान कर दिया है इसलिए इस विशिष्ट मामले में साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख के अधीन उपधारणा पूरी तरह से लागू होती है जिसका इस अपील में अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा खंडन नहीं किया गया है । अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन निचले न्यायालयों द्वारा उसे दोषसिद्ध करते हुए एक जैसी राय में हस्तक्षेप करने के लिए हमारे समक्ष मामला सिद्ध करने में असफल रहा है । उपरोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, सुसंगत सामग्री और उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन करने के पश्चात् इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दोषसिद्ध करके कोई गलती नहीं की है चूंकि अपीलार्थी साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख के अधीन भार का निर्वहन करने में असफल रहा था । अपीलार्थी अभिलेख

पर ऐसी कोई सामग्री नहीं लाया है जो आक्षेपित निर्णय में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए योग्य हो । (पैरा 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 और 22)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2015]	(2015) 6 एस. सी. सी. 477 : **राजिन्दर सिंह** बनाम **पंजाब राज्य** ;	11
[2010]	2010 की दांडिक अपील सं. 1735-1736 : **सतबीर सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य** ;	9, 11, 21
[2005]	(2005) 2 एस. सी. सी. 388 : **कामेश पंजीयार** बनाम **बिहार राज्य** ;	19
[2000]	(2000) 5 एस. सी. सी. 207 : **कंस राज** बनाम **पंजाब राज्य** ।	11

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2010 की दांडिक अपील सं. 1731.

2009 की दांडिक अपील सं. 2298-एस.बी. में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा तारीख 15 मार्च, 2010 को पारित किए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री ऋषि मल्होत्रा

प्रत्यर्थी की ओर से श्री जसप्रीत गोगिया

न्यायालय का निर्णय मुख्य न्यायमूर्ति एन. वी. रमना ने दिया ।

मु. न्या. रमना – यह अपील 2009 की दांडिक अपील सं. 2298-एस.बी. में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा तारीख 15 मार्च, 2010 को पारित किए गए उस आक्षेपित निर्णय से उद्भूत हुई है, जिसमें उच्च न्यायालय ने इस अपील में अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई अपील खारिज कर दी थी और उसे विचारण न्यायालय के भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दोषसिद्ध करने वाले और उसे सात वर्ष का कठोर कारावास भुगतने और 5,000/- रुपए के जुर्माने के लिए

दंडादिष्ट करने वाले आदेश को कायम रखा था ।

2. अभियोजन के पक्षकथन के अनुसार तथ्य निम्नलिखित प्रकार से हैं – शिकायतकर्ता की पुत्री, मृतका की वर्ष 2004 में अपीलार्थी के साथ सगाई हुई थी । शिकायतकर्ता सगाई के पश्चात् अप्रैल, 2004 में आबू धाबी चला गया था और अपीलार्थी और मृतका का विवाह तारीख 23 नवंबर, 2004 को उसकी गैर-मौजूदगी में अनुष्ठापित हुआ था । वर्ष 2006 में इस विवाह बंधन से एक बालक का जन्म हुआ । जब शिकायतकर्ता वर्ष 2007 में विदेश से वापस आया तो मृतका ने उसे सूचित किया कि उसके सास, ससुर और अपीलार्थी-पति दहेज की मांग को लेकर उस पर शारीरिक हमला करते रहते हैं । अभिकथित रूप से, शिकायतकर्ता ने अभियुक्त व्यक्तियों को एक सोने की जंजीर दी थी । शिकायतकर्ता उसके पश्चात् विदेश चला गया और तारीख 21 जुलाई, 2008 को भारत वापस आया । मृतका ने यह भी खुलासा किया कि उसके ससुराल वाले एक कार खरीदने के लिए धन की मांग कर रहे हैं । तथापि, इस बार शिकायतकर्ता इस मांग को पूरा करने में असफल रहा ।

3. तारीख 8 अगस्त, 2008 को मृतका के ससुर ने शिकायतकर्ता को सूचित किया कि मृतका ने विष खा लिया है और वह बेहोश हो गई है तथा उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है । अस्पताल पहुंचने के उपरांत शिकायतकर्ता ने अपनी पुत्री को बेहोश पाया । बाद में उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई ।

4. विचारण न्यायालय ने तारीख 3 सितंबर, 2009 के आदेश द्वारा अपीलार्थी-पति, ससुर और सास को धारा 304ख के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया और उनमें से प्रत्येक को सात वर्ष का कठोर कारावास भुगतने और प्रत्येक पर 5,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश दिया । जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर अभियुक्त व्यक्तियों को एक वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का निदेश दिया गया था ।

5. अभियुक्त व्यक्तियों ने व्यथित होकर अपील में उच्च न्यायालय में समावेदन किया । उच्च न्यायालय ने तारीख 15 मार्च, 2010 के

आक्षेपित निर्णय द्वारा ससुर और सास को दोषमुक्त कर दिया किंतु अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के आदेश को कायम रखा । उच्च न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय को चुनौती देते हुए अभियुक्त-अपीलार्थी ने इस न्यायालय में समावेदन किया है ।

6. अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले काउंसेल ने यह दलील दी कि निचले न्यायालयों ने प्रस्तुत मामले में साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख के अधीन उपधारणा को एक नित्यचर्या बात के रूप में लागू किया है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के मूलभूत और आवश्यक संघटक साबित तक नहीं किए गए हैं । यह दलील दी गई कि केवल इस कारण कि मृतका की मृत्यु विवाह के सात वर्षों के भीतर हुई थी, तनिक संदेह के बिना यह कहा जा सकता है कि मृतका के साथ उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व दहेज की मांग के संबंध में कोई क्रूरता नहीं की गई थी । मृतका अपीलार्थी के साथ प्रसन्न थी, यह तथ्य इस बात से पूरी तरह स्पष्ट होता है कि वह उसके साथ रह रही थी और उसके बालक को जन्म दिया था तथा कभी कोई उल्लेख नहीं किया था कि अपीलार्थी द्वारा उसे किसी प्रकार से तंग किया गया था या उसके साथ क्रूरता की गई थी । इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी-पति द्वारा जो उपहार प्राप्त किए गए थे, वे शिकायतकर्ता और उसके परिवार द्वारा स्वेच्छा से दिए गए थे । अंततः, भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अधीन किन्हीं आरोपों के बिना भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दोषसिद्धि को संधार्य नहीं रखा जा सकता है ।

7. इसके विपरीत, राज्य की ओर से काउंसेल ने यह दलील दी कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रस्तुत मामले में मृत्यु विवाह के चार वर्ष के भीतर संदिग्ध परिस्थितियों में अर्थात् विष खाने के कारण हुई थी । इसके अतिरिक्त, घटना से पंद्रह दिन पूर्व मृतका ने अपने पिता को एक कार खरीदने के लिए हाल ही में की गई धन की मांग के बारे में बताया था । अंततः, निचले न्यायालयों के समक्ष यह सिद्ध किया गया था कि अभियुक्त ने दोनों परिवारों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध दर्शित करने के लिए अपनी सास के चिकित्सीय अभिलेखों की कूटरचना की थी । अतः सभी पूर्वोक्त परिस्थितियों के कारण अभियुक्त-

पति के विरुद्ध साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख के अधीन उपधारणा लागू होती है, जिसका खंडन नहीं किया गया है ।

8. दोनों पक्षों की ओर से हाजिर होने वाले काउंसेलों को सुना । भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख, जिसमें दहेज मृत्यु को परिभाषित किया गया है और उसके लिए दंड का उपबंध किया गया है, निम्नलिखित प्रकार से है :–

> "**304ख. दहेज मृत्यु** – (1) जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने, दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध में, उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहां ऐसी मृत्यु को 'दहेज मृत्यु' कहा जाएगा और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा ।
>
> **स्पष्टीकरण** – इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए 'दहेज' का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) की धारा 2 में है ।
>
> (2) जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा ।"

9. भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख(1) में किसी स्त्री की "दहेज मृत्यु" को परिभाषित किया गया है । इस धारा में यह उपबंधित है कि "दहेज मृत्यु" वह है जहां किसी स्त्री की मृत्यु दाह या शारीरिक क्षतियों के कारण कारित की जाती है या विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु से कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने दहेज की किसी मांग के संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था । इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख(2) में पूर्वोक्त अपराध के लिए दंड का उपबंध किया गया है ।

सतबीर सिंह बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के हाल ही के निर्णय में भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख और साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख के अधीन विधि को निम्न प्रकार से संक्षिप्त रूप से स्पष्ट किया गया है :–

> "(i) भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख का निर्वचन अवश्य दुल्हन को जलाने और दहेज की मांग की सामाजिक बुराई को समाप्त करने के विधान-मंडल के आशय को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए ।
>
> (ii) अभियोजन पक्ष को अवश्य सर्वप्रथम भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक संघटकों की विद्यमानता को सिद्ध करना चाहिए । जब एक बार इन संघटकों का समाधान कर दिया जाता है, तो अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख के अधीन उपबंधित कारण-कार्य संबंध की खंडनीय उपधारणा लागू होती है ।
>
> (iii) भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख में प्रकट होने वाला 'कुछ पूर्व' वाक्यांश का अर्थान्वयन 'ठीक पूर्व' अर्थ के रूप में नहीं किया जा सकता है । अभियोजन पक्ष को अवश्य दहेज मृत्यु और पति या उसके नातेदारों द्वारा दहेज की मांग के लिए की गई क्रूरता या तंग करने के बीच 'सन्निकट और सीधा संबंध' होने की विद्यमानता को सिद्ध किया जाना चाहिए ।
>
> (iv) भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख में मृत्यु को मानववध या आत्महत्या या दुर्घटनावश मृत्यु के रूप में वर्गीकृत करते हुए कपोतखाना दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है । ऐसे अवर्गीकरण का कारण इस तथ्य की वजह से है कि 'सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा' होने वाली मृत्यु बहुत से मामलों में मानववध या आत्महत्या या दुर्घटनावश हो सकती है ।"

10. प्रस्तुत मामले में, स्वीकृत रूप से, मृतका और अभियुक्त-अपीलार्थी के बीच विवाह तारीख 13 नवंबर, 2004 को हुआ था और

---

[1] 2010 की दांडिक अपील सं. 1735-1736.

मृतका की मृत्यु वर्ष 2008 में उसके द्वारा अपने दांपत्य गृह में विष खा लेने के कारण हुई थी । अत: विवाह के सात वर्ष के भीतर "सामान्य परिस्थितियों" से अन्यथा मृत्यु होने के बारे में प्रथम दो संघटकों का समाधान हो जाता है ।

11. अगला महत्वपूर्ण संघटक जिसे सिद्ध करने की आवश्यकता होती है, वह "स्त्री की मृत्यु से कुछ पूर्व" दहेज की मांग की विद्यमानता है । इस न्यायालय ने अनेक निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया है कि "कुछ पूर्व" का निर्वचन "ठीक पूर्व" के अर्थ में नहीं किया जा सकता है, बल्कि अभियोजन पक्ष को यह दर्शित करना चाहिए कि विपदग्रस्त के साथ की गई क्रूरता और पारिणामिक मृत्यु के बीच एक "सन्निकट और सीधा संबध" विद्यमान था । [**सतबीर सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य** (उपर्युक्त) ; **कंस राज** बनाम **पंजाब राज्य**[1] और **राजिन्दर सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[2] वाले मामले देखें] ।

12. यहां मृतका के पिता श्रवण सिंह (अभि. सा. 4) का साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है । उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया था कि मृतका ने विवाह के पश्चात् उसे दूरभाष पर अभियुक्त द्वारा लगातार कार या उसके समतुल्य नकदी की मांग करने के बारे में सूचित किया था । वर्ष 2007 में, जब यह साक्षी भारत आया था तो मृतका ने लगातार उसे तंग किए जाने के कारण अपनी अप्रसन्नता भी जाहिर की थी । इसके अतिरिक्त, जब यह साक्षी जुलाई, 2008 में देश वापस आया था तो मृतका ने उसके समक्ष इन मांगों की बात को दोहराया था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि कैसे बीच-बचाव करके स्वयं विवाद का हल निकालने के लिए परिवारों ने प्रयत्न किया था और कई अवसरों पर मृतका के पिता ने स्थिति को सुधारने के लिए अभियुक्त और उसके परिवार को कई सारे उपहार दिए थे । एक अन्य महत्वपूर्ण परिस्थिति जो हमारे ध्यान में आती है वह यह है कि मृतका की माता ने घटना से 15-20 दिन पूर्व पिता को दहेज की मांग को लेकर लगातार मृतका को तंग करने के बारे में सूचित किया था । अंतत: तारीख 8 अगस्त, 2008

---

[1] (2000) 5 एस. सी. सी. 207.

[2] (2015) 6 एस. सी. सी. 477.

को मृतका के ससुर ने इस साक्षी को मृतका द्वारा विष खा लेने के बारे में सूचित किया था ।

13. यह रेखांकित करना आवश्यक है कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने अभि. सा. 4 मृतका के पिता के उपरोक्त साक्ष्य को उसकी पूरी तरह से प्रतिपरीक्षा करने के बावजूद विश्वसनीय और संगत पाया था । अपीलार्थी द्वारा पूर्वोक्त परिसाक्ष्य की उपेक्षा करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया था । अभि. सा. 4 के परिसाक्ष्य का परिशीलन करने पर हमारी यह सुविचारित राय है कि यह साक्ष्य संगत और विश्वासोत्पादक है । अभिलेख पर के साक्ष्य, विशिष्ट रूप से मृतका के पिता के परिसाक्ष्य पर विचार करते हुए हमारी यह राय है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन आवश्यक संघटकों को साबित किया था ।

14. अब, भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन आवश्यक संघटक को साबित किया गया है, इसलिए अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख के अधीन कारण-कार्य संबंध की उपधारणा उद्भूत होती है ।

15. अभियुक्त की प्रतिरक्षा यह है कि उसके परिवार और मृतका के परिवार के संबंध सौहार्दपूर्ण थे और वास्तव में अपीलार्थी ने मृतका की माता की कैंसर का उपचार कराने में सहायता की थी । विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी दोनों साक्ष्यों की पूर्ण रूप से परीक्षा करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला था कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने, जो एक अस्पताल में टेक्नीशियन के रूप में कार्य कर रहा था, मृतका और अभियुक्त के परिवारों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध विद्यमान होने की बात को साबित करने के लिए अस्पताल के अभिलेखों की कूटरचना की थी । इस बिंदु पर विचारण न्यायालय की सुसंगत मताभिव्यक्तियां निम्नलिखित हैं :–

> "अभियुक्त गुरमीत सिंह ओ. टी. टेक्नीशियन के रूप में कार्य कर रहा था । गुरमीत सिंह बक्शो देवी को अस्पताल लाया और उसने उसका परीक्षण किया तथा कीमोथेरेपी दी । उसने यह भी

कथन किया कि फाइल में प्रविष्टियों की फोटो प्रति प्रदर्श डी-1 पर हैं और उसका उपचार तारीख 17 अगस्त, 2008 तक किया गया था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया कि यह सही है कि फाइल में की प्रविष्टियों में यह अभिलिखित नहीं है कि रोगी को कौन लेकर आया था । उसने यह भी स्वीकार किया कि प्रदर्श डी-1 का अभियुक्ति स्तंभ खाली है और इस पर कहीं भी उसके हस्ताक्षर नहीं हैं । उसने यह भी कथन किया कि जो उपचार किया गया था, उसका उल्लेख उपचार फाइल में है । उसने यह भी कथन किया कि रोगी का अन्य डाक्टरों द्वारा भी उपचार किया गया था । इसलिए इस साक्षी ने यह कथन किया कि रोगी का तारीख 17 अगस्त, 2008 तक उपचार किया गया था । प्रदर्श डी-1 तारीख 18 अगस्त, 2008 का है । स्वीकृत रूप से, रमा देवी की मृत्यु तारीख 8 अगस्त, 2008 को हुई थी । अभियुक्त गुरमीत सिंह के विरुद्ध मामला तारीख 9 अगस्त, 2008 को रजिस्ट्रीकृत किया गया था । अभि. सा. 11, उप निरीक्षक धर्मपाल के कथन के अनुसार, अभियुक्त गुरमीत सिंह को इस मामले में तारीख 10 अगस्त, 2008 को गिरफ्तार किया गया था । अभियुक्त की व्यक्तिगत तलाशी का ज्ञापन प्रदर्श पी-26 है, गिरफ्तारी के आधारों का ज्ञापन प्रदर्श पी-27 है और इत्तिला के आधार का ज्ञापन प्रदर्श पी-28 है जो उसके द्वारा तैयार किया गया था और उस पर अभियुक्त तथा सहायक उप निरीक्षक सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर हैं । इसलिए यदि अभियुक्त तारीख 10 अगस्त, 2008 से आज की तारीख तक अभिरक्षा में है, तब वह अपनी सास को उपचार के लिए डाक्टर के. के. नायक, प्रति. सा. 2 के समक्ष कैसे ले जा सकता था या वहां उसका उपचार करा सकता था । अत: प्रतिरक्षा साक्ष्य गढ़ा गया प्रतीत होता है और इसे अभियुक्त द्वारा कूटरचित किया गया था कि वह अपनी सास का उपचार करा रहा था जिससे कि यह दर्शित किया जा सके कि उसके विपदग्रस्त के परिवार के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध थे या विपदग्रस्त जमीन पर गिर गई थी ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

16. विचारण न्यायालय द्वारा निकाला गया पूर्वोक्त निष्कर्ष अभिलेख पर के साक्ष्य के विस्तृत विश्लेषण पर आधारित है और इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं है । अपीलार्थी ने हमारे ध्यान में यह सुझाव देने के लिए कोई सामग्री नहीं लाई है कि विचारण न्यायालय का निष्कर्ष अनुचित या किसी आधार के बिना था । अत: अपीलार्थी की यह प्रतिरक्षा मान्य न होने के कारण नामंजूर किए जाने योग्य है ।

17. अपीलार्थी की अगली दलील यह है कि मृतका अपनी माता के स्वास्थ्य को लेकर तनावग्रस्त रहती थी । तथापि, अपीलार्थी द्वारा अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि मृतका अपनी माता के अभिकथित खराब स्वास्थ्य के कारण तनाव में थी । वास्तव में, यह दर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था कि उसकी माता का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था ।

18. अत: अभियोजन पक्ष ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन आवश्यक संघटकों का समाधान कर दिया है इसलिए इस विशिष्ट मामले में साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख के अधीन उपधारणा पूरी तरह से लागू होती है जिसका इस अपील में अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा खंडन नहीं किया गया है । अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन निचले न्यायालयों द्वारा उसे दोषसिद्ध करते हुए एक जैसी राय में हस्तक्षेप करने के लिए हमारे समक्ष मामला सिद्ध करने में असफल रहा है ।

19. अंत में, अपीलार्थी की ओर से काउंसेल ने यह दलील दी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अधीन किन्हीं आरोपों के बिना भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है । इस पहलू पर **कामेश पंजीयार** बनाम **बिहार राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया था :–

"12. ..... यह उल्लेखनीय है कि भारतीय दंड संहिता की धारा

---

[1] (2005) 2 एस. सी. सी. 388.

304ख और 498क को परस्पर समावेशी होना अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है । ये उपबंध दो सुभिन्न अपराधों के संबंध में हैं । यह सही है कि दोनों धाराओं में क्रूरता एक सामान्य अनिवार्य संघटक है और उसे साबित किया जाना चाहिए । धारा 498क में 'क्रूरता' का अर्थ दिया गया है । धारा 304ख में 'क्रूरता' के अर्थ के बारे में ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । किंतु इन अपराधों की सामान्य पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए यह माना जाना चाहिए कि 'क्रूरता' या 'तंग करने' का अर्थ वही है जो धारा 498क के स्पष्टीकरण में विहित किया गया है जिसके अधीन 'क्रूरता' स्वयमेव एक अपराध की कोटि में आती है । धारा 304ख के अधीन वह 'दहेज मृत्यु' है जो दंडनीय है और ऐसी मृत्यु विवाह के सात वर्षों के भीतर होनी चाहिए । धारा 498क में ऐसी कोई अवधि वर्णित नहीं है । यदि मामला सिद्ध किया जाता है तो दोनों धाराओं के अधीन दोषसिद्धि हो सकती है ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

20. अत: अपीलार्थी की ओर से काउंसेल द्वारा दी गई दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता है चूंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 498क और धारा 304ख के अधीन अपराध सुभिन्न प्रकृति के हैं । यद्यपि दोनों अपराधों में विद्यमान एक सामान्य बात क्रूरता है, तथापि, प्रत्येक अपराध के संघटक सुभिन्न हैं और अभियोजन पक्ष द्वारा उन्हें अलग-अलग साबित किया जाना आवश्यक है । यदि मामला सिद्ध किया जाता है तो दोनों धाराओं के अधीन दोषसिद्धि की जा सकती है ।

21. इस मामले से विलग होने से पूर्व, हमारी यह राय है कि **सतबीर सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य** (उपर्युक्त) वाले मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन विचारण के संबंध में इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों को दोहराना उपयोगी होगा :–

"(v) साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख की प्रकृति अनिश्चित होने के

कारण न्यायाधीशों, अभियोजन पक्ष और प्रतिरक्षा पक्ष को विचारण के संचालन के दौरान सावधान रहना चाहिए ।

(vi) यह गंभीर चिंता का विषय है कि प्राय: विचारण न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन कथन को अभियुक्त से उसकी प्रतिरक्षा के बारे में विनिर्दिष्ट रूप से प्रश्न किए बिना बहुत ही नेमी और सरसरी रीति में अभिलिखित करते हैं । यह उल्लेख किया जाना होगा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त की परीक्षा को मात्र एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि यह ऋजुता के मूलभूत सिद्धांत पर आधारित है । इस पूर्वोक्त उपबंध में नैसर्गिक न्याय के मूल्यवान सिद्धांत 'आडी आल्टेरम पार्टेन' (दूसरे पक्षकार को भी सुनो) को सम्मिलित किया गया है क्योंकि यह सिद्धांत अभियुक्त को उसके विरुद्ध प्रतीत होने वाली अपराध में फंसाने वाली सामग्री के लिए स्पष्टीकरण देने हेतु समर्थ बनाता है । अत: यह सिद्धांत न्यायालय पर अभियुक्त से ऋजुतापूर्वक सावधानी और सतर्कता से प्रश्न करने के लिए बाध्यता अधिरोपित करता है ।

(vii) न्यायालय को अवश्य अपराध में फंसाने वाली परिस्थितियों को अभियुक्त के समक्ष रखना चाहिए और उससे उत्तर की ईप्सा करनी चाहिए । अभियुक्त के काउंसेल पर भी यह कर्तव्य अधिरोपित है कि वह विचारण के आरंभ होने पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख की विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए पूरी सतर्कता से उसकी प्रतिरक्षा तैयार करे ।

(viii) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 232 में यह उपबंधित है कि 'यदि संबद्ध विषय के बारे में अभियोजन का साक्ष्य लेने, अभियुक्त की परीक्षा करने और अभियोजन और प्रतिरक्षा पक्ष को सुनने के पश्चात् न्यायाधीश का यह विचार है कि इस बात का साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त ने अपराध किया है तो न्यायाधीश दोषमुक्ति का आदेश अभिलिखित करेगा' । विचारण न्यायालयों को इस विवेक का उपयोग एक बाध्यता के रूप में करने का भरसक

प्रयास करना चाहिए ।

(ix) जब एक बार विचारण न्यायालय यह विनिश्चय कर लेता है कि अभियुक्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 232 के उपबंधों के अनुसार दोषमुक्त किए जाने के लिए पात्र नहीं है, तो उसे आगे बढ़ना चाहिए और अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 233 के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार अपनी प्रतिरक्षा प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए 'प्रतिरक्षा साक्ष्य' के लिए विनिर्दिष्ट रूप से सुनवाई नियत करनी चाहिए, जो कि अभियुक्त को प्रदान किया गया एक बहुमूल्य अधिकार है ।

(x) साथ ही साथ, विचारण न्यायालयों को त्वरित विचारण जैसी अन्य महत्वपूर्ण बातों के बीच भी संतुलन बनाने की आवश्यकता है । इस संबंध में, हम ये चेतावनी दे सकते हैं कि उपरोक्त उपबंधों का विलंबित युक्तियों के रूप में दुरुपयोग किए जाने की अनुज्ञा नहीं दी जानी चाहिए ।

(xi) उपरोक्त के अतिरिक्त, पीठासीन न्यायाधीश को दंडादेश और समुचित दंड अधिरोपित करते समय इस न्यायालय द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों का भी पालन करना चाहिए ।

(xii) निस्संदेह, जैसा कि ऊपर विचार-विमर्श किया गया है, दहेज मृत्यु का संकट दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है । तथापि, यह भी मत व्यक्त किया जाता है कि कभी-कभी पति के परिवार के सदस्यों को फंसाया जाता है, भले ही अपराध के करने में उनकी कोई सक्रिय भूमिका न हो और दूरस्थ स्थानों पर रह रहे हों । इन मामलों में न्यायालय को अपना दृष्टिकोण अपनाने में सतर्क रहने की आवश्यकता है ।"

22. उपरोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, सुसंगत सामग्री और उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन करने के पश्चात् हमारा यह निष्कर्ष है कि उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दोषसिद्ध करके कोई गलती नहीं की

है चूंकि अपीलार्थी साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख के अधीन भार का निर्वहन करने में असफल रहा था । अपीलार्थी अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं लाया है जो आक्षेपित निर्णय में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए योग्य हो ।

23. यह अपील खारिज की जाती है । लंबित आवेदनों का, यदि कोई हैं, तद्नुसार निपटारा हो जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

जस.

[2021] 3 उम. नि. प. 77

शेख अहमद

बनाम

तेलंगाना राज्य

[2021 की दांडिक अपील सं. 533]

28 जून, 2021

न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 364क – फिरौती के लिए व्यपहरण – अभियुक्त को इस धारा के अधीन दोषसिद्ध करने के लिए उसके द्वारा विपदग्रस्त का फिरौती के लिए व्यपहरण करने के अतिरिक्त इस धारा के किसी एक भाग का पूर्ण होना आवश्यक है अर्थात् (क) व्यपहृत व्यक्ति की मृत्यु या उसको उपहति कारित करने की धमकी दी गई हो या (ख) व्यपहरणकर्ता के आचरण से ऐसी युक्तियुक्त आशंका पैदा हुई हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु या उसको उपहति कारित की जा सकती है और जहां न तो शिकायतकर्ता और न ही विपदग्रस्त का यह दावा हो कि अभियुक्त ने विपदग्रस्त को ऐसी धमकी दी थी या